कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कबीरधाम(छ.ग.)

// आदेश //

क्रमांक / 2819 / सां.लि / कोरोना / 2020 कवर्धा,दिनांक 03 / 05 / 2020

(दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत)

कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु कार्यालयीन आदेश 2511 दिनांक 14.04.2020 के द्वारा दण्ड प्रकिया संहिता 1973 के अंतर्गत धारा 144(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश पारित कर संपूर्ण जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत धारा 144 लागू की गई थी।

2. स्वास्थ्य की दृष्टि से यह तथ्य परिलक्षित है कि कोरोना वायरस के संपर्क से पीड़ित, संदेही से दूर रहने की सख़्त हिदायत है। छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा भी यह निर्देशित किया गया है कि इससे बचने के सभी संभावित उपाय अमल में लाया जावे। यही कारण है कि COVID-19 के संभाव्य प्रसार को देखते हुए इसके प्रसार को रोकने के लिए ना सिर्फ राज्य में बल्कि पूरे देश में कड़े सामाजिक अलगाव के उपयोग को अपनाया जा रहा है।

3. अद्यतन स्थिति में भी कोरोना वायरस (COVID-19) संक्रामक बीमारी पर पूरी तरह काबू नहीं पाया जा सका है। अभी भी संक्रमण की स्थिति कई स्थानों पर संभावित है। अतः संक्रमण से बचाव हेतु जिला कबीरधाम में स्वास्थ्यगत आपालकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए यह उचित प्रतीत होता है। यह भी तथ्य ध्यान में रखने योग्य है कि इस आपात स्थिति में व्यवहारिक तौर पर संभव नहीं है कि कबीरधाम जिले में निवासरत सभी नागरिकों को नोटिस तामिली करवाई जा सकें। अतः एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए दण्ड प्रकिया संहिता 1973 के अंतर्गत लागू की गई धारा 144 की समय–सीमा वृद्धि करना उचित है।

4. अतः मैं अवनीश कुमार शरण, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, कबीरधाम कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु कार्यालयीन आदेश क्रमांक 2511 दिनांक 14.04.2020 संपूर्ण जिले में दण्ड प्रकिया संहिता 1973 के अंतर्गत लागू की गई धारा 144 की समय–सीमा में वृद्धि करते हुए दिनांक 17 मई, 2020 मध्यरात्रि 12 बजे तक लागू किये जाने का आदेश पारित करता हूं। उक्त अवधि में सांय 07:00 बजे से प्रातः 07:00 बजे तक लोगो का गैरजरूरी गतिविधियों के लिए घरो से निकलना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। आदेश की शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

5. महामारी रोग अधिनियम, 1897 तथा इसके संदर्भ में शासन द्वारा जारी पत्र क्रमांक एफ 1–26 / 2020 / 17–1, दिनांक 13.03.2020 प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्व में जारी कार्यालयीन आदेश क्रमांक 2191 दिनांक 19.03.2020, 2205 दिनांक 20.03.2020, 2207 दिनांक 20.03.2020, 2210 दिनांक 21.03.2020, 2214 दिनांक 22.03.2020, 2278 दिनांक 23.03.2020, 2259 दिनांक 23.03.2020, 2264 दिनांक 24.03.2020, 2297 दिनांक 25.03.2020, 2299 दिनांक 25.03.2020, 2301 दिनांक 25.03. 2020, 2321 दिनांक 27.03.2020, 2331 दिनांक 27.03.2020, 2337 दिनांक 28.03.2020, 2399 दिनांक 31.03.2020, 2442 दिनांक 03.04.2020, 2453 दिनांक 04.04.2020, 2451 दिनांक 04.04.2020, 2478 दिनांक 09.04.2020, 2480 दिनांक 09.04.2020, 2491 दिनांक 11.04.2020, 2548 दिनांक 19.04.2020, 2548 दिनांक 20.04.2020, 2582 दिनांक 21.04.2020, 2616 दिनांक 22.04.2020, 2676 दिनांक 26.04.2020,

Scanned with CamScanner

2730 दिनांक 30.04.2020 को इस आदेश के साथ पढ़ा जावे। अतः उक्त आदेशों द्वारा कार्यालय/प्रतिष्ठान/सेवाओं इत्यादि को दी गई छूट इस आदेश में भी यथावत् रहेगी।

यह आदेश कबीरधाम जिले की संपूर्ण सीमाक्षेत्र के लिये दिनांक 17 मई, 2020 मध्य रात्रि 12 बजे या आगामी आदेश, जो पहले आये तक प्रभावशील होगा। आदेश का उल्लंघन किये जाने पर विधि के अंतर्गत सख्त कार्यवाही की जावेगी।

आज दिनांक 03.05.2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा के साथ जारी किया गया।

(अवनीश कुमार शरण)
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
कबीरधाम (छ.ग.)

पृ.क्रमांक/2820/सां.लि/कोरोना/2020 कवर्धा,दिनांक 03/05/2020

प्रतिलिपिः–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, गृह विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. सचिव, छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. सचिव, छ.ग. शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
4. आयुक्त, दुर्ग संभाग, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
5. पुलिस महानिरीक्षक, दुर्ग, जिला दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
6. पुलिस अधीक्षक, जिला कबीरधाम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत कबीरधाम को सूचनार्थ।
8. वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल कवर्धा, जिला कबीरधाम की ओर सूचनार्थ।
9. जिला सेनानी, नगर सेना, जिला कबीरधाम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. जिला परिवहन अधिकारी, जिला कबीरधाम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. जिला आबकारी अधिकारी, जिला कबीरधाम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. जिला खाद्य अधिकारी, कबीरधाम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. सर्व अनुविभागीय दण्डधिकारी, जिला कबीरधाम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
13. सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत कबीरधाम को सूचनार्थ।
14. सहायक संचालक, जनसंपर्क कबीरधाम की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
15. सर्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत जिला कबीरधाम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
16. सर्व संबंधित विभाग प्रमुख/श्री..को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
कबीरधाम (छ.ग.)

Scanned with CamScanner